"टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति की जानी प्रस्तावित है। पदोन्नति हेतु विभागीय गठित चयन समिति के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेख/सूचना पूर्ण कर ली गयी है। चयन समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक में आमन्त्रित करने हेतु पत्र लिखा जाना है। आपसे अनुरोध है कि कृपया चयन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु सुविधानुसार तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करना चाहेंगे।

7/2/13
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
P.
7/2/13

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
दि० 8/2/13
04.30 PM
7/2/13

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 08/02/2013 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त **(पताका–1)** आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान रू0 9300–34800 **+** ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने हैं।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुक्रम में क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के रिक्त पदो के सापेक्ष निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नती/तैनाती की जानी समीचीन होगी :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01	श्रीमती रामेश्वरी रौतेला	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला	यॉत्रिक शाखा, देहरादून	मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, देहरादून	स्थानीय
02	जगदीश चन्द्र वर्मा	श्री किशोरी लाल वर्मा	निर्माण शाखा, उधमसिंहनगर	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ़	जनहित
03	मोहन चन्द्र शर्मा	श्री धर्मानन्द शर्मा	निर्माण शाखा, भिकियासैण	निर्माण मण्डल, नैनीताल	जनहित
04	एम0आर0 भट्ट	श्री चन्द्रमणी भट्ट	निर्माण शाखा, चम्बा	निर्माण मण्डल, नई टिहरी	जनहित
05	श्रीमती ऊषा रानी चौहान	श्री अमरनाथ सिंह अरोड़ा	निर्माण शाखा, रूद्रप्रयाग (सम्बद्ध मु0महा0, नि0विंग, देहरादून)	यॉत्रिक मण्डल, देहरादून	स्थानीय
06	बालम सिंह बिष्ट	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट	निर्माण शाखा, रामनगर	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	जनहित
07	शिवसिंह गुसांई	श्री चित्रसिंह गुसांई	नि0एवं अनु0इकाई (गंगा) श्रीनगर	निर्माण मण्डल, पौड़ी	जनहित
08	राम किशोर गुप्ता	स्व0 श्री अमृत लाल गुप्ता	निर्माण शाखा, मसूरी	निर्माण मण्डल (गंगा), हरिद्वार	जनहित

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 20/02/2013 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी कॉलम–06 में इंगित क्रमांक – 01 एवं 05 में इंगित कार्मिकों को पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा शेष अन्य कार्मिकों क्रमांक – 02, 03, 04, 06, 07 एवं 08 की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

कृपया उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है।

11/2/13

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

11/2/13

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदनार्थ प्रेषित

11/2/13

प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदित

11/02/13

चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान रू0 5500–175–9000 (नया वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड–पे 4200) में रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक हेतु एजेण्डा नोट :–

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ–2(12अधि0)/2001, दिनॉक 07.11.2002 **(पताका–1)** द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002 दिनॉक 12.12.2006 **(पताका–2)** द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ढाँचे में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के वेतनमान रू0 5500–175–9000 (नया वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड–पे 4200) में 13 पद स्वीकृत किये गये है।

2. विभाग में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल स्वीकृत 13 पदों के विरूद्ध सामान्य संवर्ग में 09 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 08 पद रिक्त हैं। कुल स्वीकृत 13 पदों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 03 कार्मिक एवं अनुसूचित जनजाति का 01 कार्मिक कार्यरत है। इस प्रकार कुल 08 पद रिक्त है।

वर्तमान में *राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग–2, दिनॉक 05.09.2012 (पताका–3) के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।*

चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत दिनॉक 30.06.2013 तक कोई पद रिक्त नहीं होगा। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल 08 पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विवरण	कुल	सामान्य	अनु0जाति	अनु0जन जाति
01	स्वीकृत पद	13	09	03	01
02	कार्यरत	05	01	03	01
03	रिक्त	**08**	**08**	**0**	**0**
04	दिनॉक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	**0**	**0**	**0**	**0**
	योग (कुल रिक्त पद)	**08**	**08**	**0**	**0**

नियुक्ति का श्रोत :–

संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010–(35अधि0)/07, दिनॉक 17.05.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित की गयी है, जो प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग – प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनॉक 21.05.2010 **(पताका–4)** के द्वारा प्रसारित की गयी है। अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अधीन प्रश्नगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 परिशिष्ट–(1) लिपिकीय सेवा के क्रमांक–05 **(पताका–5)** के अनुरूप मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 जिन्होंने संवर्ग में कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है।

वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियो की सूची :–

राज्य अधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1194/42–1–2000–13/15/91, दिनॉक 19 मई, 2001 **(पताका–6)** के प्रस्तर–5 में उल्लेखित श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठता पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था हैं, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की गई है।

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5
(2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गुना किन्तु कम से कम 10

उक्तानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित संवर्ग के अन्तर्गत वांछित सूची निम्नानुसार है :–

(क) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की वरिष्ठता सूची **(पताका–7)**
(ख) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की कार्यरत सूची **(पताका–8)**
(ग) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की वरिष्ठता सूची **(पताका–9)**
(घ) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की कार्यरत सूची **(पताका–10)**
(ङ) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची **(पताका–11)**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण :–

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का–2/2001 53(1)/2001 दिनॉक 18 जुलाई, 2001 **(पताका–12)** द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001 **(पताका–13)** के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल 13 स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 03 पदों के सापेक्ष 03 कार्मिक कार्यरत हैं, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का 01 पद के विरूद्ध 01 कार्मिक कार्यरत है।

किन्तु राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग–2, दिनॉंक 05.09.2012 के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढॉंचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया</u> :–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के विनियम–18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया है :–

18 (1) – सेवा में लिपिकीय सेवा में पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून – अध्यक्ष
(दो) महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून – सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून – सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून – सदस्य सचिव
(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई – सदस्य अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़ी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

<u>टिप्पणी</u> :– वर्तमान में उक्त क्रमांक–4 पर अंकित अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन अधिशासी अभियन्ता (अनुश्रवण) द्वारा देखा जा रहा है।

18 (2) :– नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चारित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

18 (3) :– चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

18 (4) :– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

<u>पदोन्नति के लिए मापदण्ड</u> :–

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

<u>टिप्पणी</u> :–

1. चयन समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अनिवार्य है।
2. चयन समिति उन सभी अभ्यर्थियों, जो पदोन्नति के पात्र हैं, के मामले में उनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा ज्येष्ठता सूची में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उच्च पद जिसके लिए वह अभ्यर्थी हैं, पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे।
3. चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा इस सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियाँ की जायेगी। यह सूची चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत (दिनॉक 01.07.2012 से 30.06.2013 तक) मान्य होगी।

विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनॉक 08.07.2009 **(पताका–14)** में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में ''अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली–2009'' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनॉक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 जो उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 64/उन्तीस(1)/2012-(44 अधि0)/2005, दिनॉक 01.01.2013 के द्वारा निर्गत है तथा प्रधान कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 314/ प्रशा0अनु0-अधि0 सामान्य/04, दिनॉक 28.01.2013 **(पताका-15)** के द्वारा प्रसारित किया गया है।

(i) पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रविष्टियों का विवरण **(पताका-16)**

(ii) पात्र अभ्यर्थियों के सेवा अवधि का विवरण **(पताका-17)**

(iii) पात्र अभ्यर्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने सम्बन्धी विवरण **(पताका-18)**।

चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 08/02/2013 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2(92 अधि0)/2002 दिनॉक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) में 13 पद स्वीकृत हैं। विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढॉचे में वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर 05 प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 कार्यरत है, जिनमें से 01 सामान्य वर्ग, 03 अनुसूचित जाति वर्ग एवं 01 अनुसूचित जनजाति वर्ग का कार्मिक कार्यरत है। इस प्रकार कुल 13–05 = 08 पद रिक्त हैं। इन 08 रिक्त पदों को प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के कार्मिकों से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं0 15/मु0अ0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/13, दिनाँक 07/02/2013 द्वारा बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री योगेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य
3. श्री प्रेम सिंह, महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य
4. श्री एस0के0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य सचिव

चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :–

1. कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की सूची।
2. कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की सूची।
3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की अनन्तिम वरिष्ठता सूची–फरवरी, 2012
4. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची।
5. पात्र अभ्यर्थियों का सेवा विवरण।
6. पात्र प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के गत 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि के मूल्यांकन का सार।
7. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के विरूद्ध विधि एवं शिकायत अनुभाग की अनुशासनिक/प्रशासनिक जॉच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।

8. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली–2010 जो कार्यालय ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग–प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनॉक 21.05.2010 के द्वारा प्रसारित है, के विनियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–18 के उपनियम–1 से 4 में।
9. ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित उत्तरांखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 479/XXX(2)/2009–3(1)/2007, दिनॉक 08 जुलाई 2009
10. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2/2001–53 (1)/2001 दिनॉक 18.07.2001
11. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित ।ासनादेश संख्या 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001
12. प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2451/अधि0अनु0–अधि0 च0श्रे0कर्म0/19, दिनॉक 08.11.2010 अधिष्ठापित कार्यालयों में पदों का विभाजन।
13. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 जो उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 64/उन्तीस(1)/2012–(44 अधि0)/2005, दिनॉक 01.01.2013 जो प्रधान कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 314/प्रशा0अनु0–अधि0 सामान्य/04, दिनॉक 28.01.2013 के द्वारा प्रसारित किया गया है।

चयन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 479/XXX(2)/2009–3(1)/2007, दिनॉक 08 जुलाई 2009 के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया के विनियम–03 में निहित प्राविधान **"यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल अभ्यर्थी की विगत 10 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में पाँच या अधिक चरित्र प्रविष्टियों का 'उत्तम' या 'उच्चतर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो तथा विचारण के ठीक 2 वर्ष पूर्व की प्रविष्टियों प्रतिकूल न हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' घोषित किया जायेगा।"** का उल्लेख है।

किन्तु शासनादेश संख्या 43/A/XXX(2)/2003, कार्मिक अनुभाग–2, देहरादून दिनॉक 09.01.2013 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013, जो पेयजल अनुभाग के शासनादेश संख्या–64/उन्तीस(1)/2012–(44 अधि0)/2005 दिनांक 21.01.2013 के द्वारा प्रसारित किया गया है तथा प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या–314/प्रशा0अनु0–अधि0सामान्य/04 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा पृष्ठांकित किया गया है, के अन्तर्गत 'ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया के विनियम–3(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्राविधान किया गया है :–

"उक्त प्रक्रिया अनुसार 'उपयुक्त' कार्मिकों के चयन हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की, प्रोन्नति के पद के नीचे के पदों पर कार्य करने की अवधि की अद्यतन 05 वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां देखी जायेगी। यदि चयन के दिनांक को चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की प्रविष्टि नहीं लिखी गयी है और प्रविष्टि लिखे जाने का अवसर निर्दिष्ट समय–सारिणी अनुसार उपलब्ध है तो चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के बजाय पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व की प्रविष्टि से प्रारम्भ करते हुए विगत कुल पांच वर्षों की प्रविष्टियां देखी जायेगी। यदि 05 वर्ष की प्रविष्टियां उपलब्ध

नहीं है और ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध न होने के पर्याप्त कारण हैं तो उतने वर्ष/अवधि और पीछे की प्रविष्टियां देखी जायेंगी जितनी की 05 वर्ष पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो, किन्तु किसी दशा में पांच वर्ष की प्रविष्टियां उपलब्ध न हो पाये (यथा प्रविष्टि अंकित न हो पाने विषयक सकारण प्रमाण पत्र अंकित हो अथवा कुल सेवा ही पांच वर्ष से कम हो, आदि) तो उपलब्ध प्रविष्टियों एवं अन्य संगत सेवा अभिलेखों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा" का उल्लेख किया गया है।

उक्त चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया के विनियम–3(3) में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है :–

"यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल कार्मिक की विगत 05 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में से न्यूनतम चार प्रविष्टियां 'उत्तम या उच्चतर श्रेणी' में वर्गीकृत हों, तभी ऐसे कार्मिक को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त घोषित किया जायेगा" का उल्लेख किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी :–

1. पात्रता सूची के क्रमांक–01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 पर निम्नानुसार वरिष्ठता में अंकित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये एवं चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी।

क्रमांक	पात्रता क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
		सामान्य संवर्ग :–	
01	01	श्रीमती रामेश्वरी रौतेला	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला
02	02	जगदीश चन्द्र वर्मा	श्री किशोरी लाल वर्मा
03	04	मोहन चन्द्र शर्मा	श्री धर्मानन्द शर्मा
04	05	एम0आर0 भट्ट	श्री चन्द्रमणी भट्ट
05	06	श्रीमती ऊषा रानी चौहान	श्री अमरनाथ सिंह अरोड़ा
06	07	बालम सिंह बिष्ट	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट
07	08	शिवसिंह गुसांई	श्री चित्रसिंह गुसांई
08	09	राम किशोर गुप्ता	स्व0 श्री अमृत लाल गुप्ता

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 जो प्रधान कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 314/प्रशा0अनु0–अधि0 सामान्य/04, दिनाँक 28.01.2013 के द्वारा प्रसारित किया गया है, में प्राविधानों के अन्तर्गत पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रमांक–03 पर अंकित श्रीमती ज्ञान मंजरी गुप्ता, पत्नी श्री आर0के0 गुप्ता के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों में चयन वर्ष के विगत 05 वर्षों के अन्तर्गत 04 वर्षों की प्रविष्टियां उत्तम अथवा उच्चतर प्रविष्टियां न होने के कारण चयन नहीं किया गया।

2. पात्रता सूची के क्रमांक–10 एवं 11 तक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 को 25 प्रतिशत् अतिरिक्त पैनल के रूप में निम्नानुसार कार्मिकों को वरिष्ठता क्रम में उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया।

क्रमांक	पात्रता क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता / पति का नाम
01	10	श्रीमती सुमन अबरोल	श्री मधुमोहन अबरोल
02	11	श्री स्वरूप सिंह भण्डारी	स्व0 श्री भूपाल सिंह भण्डारी

3. चयन वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत दिनाँक 30.06.2013 तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 सेवानिवृत्त नहीं होगा, जिस कारण किसी कार्मिक का पदोन्नति हेतु चयन नहीं किया गया।

उपरोक्त चयन दिनाँक 01.07.2012 से 30.06.2013 तक मान्य होगा।

8/2/13
(एस0के0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
एवं सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

8/2/13
(प्रेम सिंह)
महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

08/2/13
(योगेन्द्र सिंह)
महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

08/2/13
(योगेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0) एवं अध्यक्ष
चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

कार्यालय – : 2678078
: 2672404
फैक्स– : 0135&2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11– मोहिनी रोड, देहरादून 248001

पत्रांक 510 / अधि0अनु0 – प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 /02 दिनांक 12/02/13

// कार्यालय–ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01	श्रीमती रामेश्वरी रौतेला	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला	यॉत्रिक शाखा, देहरादून	मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, देहरादून	स्थानीय
02	जगदीश चन्द्र वर्मा	श्री किशोरी लाल वर्मा	निर्माण शाखा, उधमसिंहनगर	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ़	जनहित
03	मोहन चन्द्र शर्मा	श्री धर्मानन्द शर्मा	निर्माण शाखा, भिकियासैण	निर्माण मण्डल, नैनीताल	जनहित
04	एम0आर0 भट्ट	श्री चन्द्रमणी भट्ट	निर्माण शाखा, चम्बा	निर्माण मण्डल, नई टिहरी	जनहित
05	श्रीमती ऊषा रानी चौहान	श्री अमरनाथ सिंह अरोड़ा	निर्माण शाखा, रूद्रप्रयाग (सम्बद्ध मु0महा0, नि0विंग, देहरादून)	यॉत्रिक मण्डल, देहरादून	स्थानीय
06	बालम सिंह बिष्ट	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट	निर्माण शाखा, रामनगर	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	जनहित
07	शिवसिंह गुसांई	श्री चित्रसिंह गुसांई	नि0एवं अनु0इकाई (गंगा) श्रीनगर	निर्माण मण्डल, पौड़ी	जनहित
08	राम किशोर गुप्ता	स्व0 श्री अमृत लाल गुप्ता	निर्माण शाखा, मसूरी	निर्माण मण्डल (गंगा), हरिद्वार	जनहित

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 20/02/2013 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं है, उक्त दिनॉक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी कॉलम–06 में इंगित क्रमांक – 01 एवं 05 में इंगित कार्मिकों को पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा शेष अन्य कार्मिकों क्रमांक – 02, 03, 04, 06, 07 एवं 08 की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

क्रमशः............2

जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय है, उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11/2/13

(योगेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैयक्तिक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उ0पे0नि0, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

11/2

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

11/2